

F 8(9) Rejection Appeal-I 2 2 6

26 8 2 2

2 G P SHEKHAWATI HOSPITAL n R C-Jaip86

-

G P SHEKHAWATI HOSPITAL n R C-Jaip86

26 2 2
C-Jaip86

G P SHEKHAWATI HOSPITAL n R

F 8(9) Rejection Appeal-I 2 2 6

26 8 2 2

-

2

- -



G P SHEKHAWATI HOSPITAL n R C-Jaip86	

G P SHEKHAWATI HOSPITAL n R C-Jaip861 ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी द्वारा गलत आधार पर निरस्त किए गए क्लेम के प्रकरण में संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत अपील पर सुनवाई दिनांक 26/07/2021 को की गई, जिसमें निम्न व्यक्ति उपस्थित रहे:-

- Dr Ayush Verma (mo bsbyraj@gmail com)
- RSHAA (raj rshaa@gov in)
- exparty (shekhawaticashless@gmail com)

बैठक में **G P SHEKHAWATI HOSPITAL n R C-Jaip861** ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी द्वारा गलत किए गए 2 क्लेम के लिए प्रस्तुत अपील पर विचार किया गया। बीमा कंपनी एवं राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी द्वारा क्लेम की समीक्षा करने पर अपील में प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य एवं दोनों पक्षों को सुनने के बाद कमेटी द्वारा संलग्न तालिका के कॉलम संख्या 9 एवं 10 के अनुसार निर्णय प्रदान किया गया। संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

S.No.	Decisions	No of Cases
1	Re-open & pay	0
2	Re-open & Query	0
3	Rightly Rejected	2

अपील की पालना के सम्बन्ध में दिशानिर्देश: -

A. बीमा कम्पनी के लिए:-

बीमा कंपनी को यह भी निर्देशित किया गया कि इस संबंध में की गई कार्यवाही से दिनांक 02/09/2021 तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराएं। यदि बीमा कंपनी द्वारा उक्त निर्णय की पालना इस आदेश के जारी होने से दिनांक 02/09/2021 तक नहीं की जाकर सूचित नहीं किया जाता है, तो RSHAA द्वारा अनुबंध के प्रावधान संख्या 1.28.4 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

B. अस्पताल के लिए:-

यदि बीमा कंपनी द्वारा दिनांक 02/09/2021 तक उपरोक्त निर्णयानुसार कार्यवाही संपादित नहीं की जाती है, तो अस्पताल को अद्योहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल अवगत करावें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।



(JCEO RSHAA)



2 /07/202

S.No.	TID	Appeal No.	Pkg Code	Pkg Rate	Patient	Remarks of NIA	Remark of Hospital	Decision	Detailed Decision
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	T2312201039044 2	2021/202418	19030068A - 00	15000	Ravindra Singh	not provided clear post op x ray7	Clear Post op x ray image available with us. So request you please review the case. Re open in query, so we will attached the same in query reply	Rightly Rejected	Post op x-ray is not clearly readable and reason for MOIC route is not uploaded,hence rejected.
2	T1803209596684	2020/198572	29120108A - 00	65000	Nangi Devi	as per MO (SHA) claim rejected due to HOSPITAL STAY LESS 24 THAN 24 HR 7	this is the procedure and there is no time stay limit of minimum 24 hrs. Pt was stable after procedure and want to discharge and Govt changes rule as their own without providing notice to private hospitals. So kindly consider the case and do needful.	Rightly Rejected	As per portal patient stay is less than 24 hrs,hence rejected.

Printed On : 07-10-2021 01:47:59 AM

